प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'उनहत्तर'

[27/7/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 2501]

VSQ 2501 गा 51 परिशिष्ट-1

अध्याय –7

विविध

69. उपयुक्त व्यक्ति या उपयुक्त संस्थाओं को मान्यता :–

(1) किसी भी व्यक्ति को, जो देखरेख, संरक्षण या उपचार के जरूरतमंद किशोरों या बालकों को अस्थायी रूप से ऐसी अवधि के लिए, जो आवश्यक हो, स्वीकार करने का इच्छुक है, उसके प्रत्यायक और प्रतिष्ठा की जांच के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जा सकेगी।

(2) किसी स्थान या संस्था को, जिसका प्रबंधक, देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद किशोर या बालक को अस्थायी रूप से ऐसी अवधि के लिए, जो आवश्यक हो, स्वीकार करने का इच्छुक है, सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त संस्था के रूप में मान्यता दी जा सकेगी।

(3) उपयुक्त संस्था के रूप में मान्यताप्राप्त संस्था :–

(क) अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में अधिकथित देखरेख के मानकों को पूरा करेगी।

(ख) अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में अभिकथित देखरेख के मानकों को पूरा करने की क्षमता तथा इच्छा होगी।

(ग) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद किशोरों और बालकों को स्वीकार करेगी और बुनियादी सेवाएं प्रदान करेगी।

(घ) किशोर या बालक को किसी भी प्रकार की क्रूरता या शोषण या उपेक्षा का शिकार होने से बचाएगी।

(ङ) सक्षम प्राधिकारी के आदेशों का पालन करेगी।

(4) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित उपयुक्त संस्थाओं की सूची बोर्ड और समिति के कार्यालय में रखी जाएगी।

(5) संपार्श्विक शाखाओं वाली उपयुक्त संस्था, सक्षम प्राधिकारी के आदेश से उसके यहां रखे गए किशोर या बालक को सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अपनी किसी भी शाखा में भेज सकेगी।

ICPS

उप सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल.